>

Title: Need to take stringent action against culprits involved in acid attack on women and provide adequate medical facilities to the victims.

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): हमारे देश में राज्यवार तेजाब हमलों के मामलों में दिन-ब-दिन वृद्धि हो रही है। तेजाब पीड़ित व्यक्तियों की आंखों की रोशनी के साथ-साथ हड्डियों को भी गला देता है। पिछले दिनों तेजाब उड़ेलने, पिलाने के अनेक मामले सामने आए हैं। इससे पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए देश में प्रशिक्षित डाक्टरों की भारी कमी है, जिससे उनको इलाज कराने में काफी परेशानी होती है।

देखा गया है कि तेजाब हमले ज्यादातर महिलाओं पर हो रहे है और ऐसे हमलों को अंजाम देने वाले व्यक्ति अथवा आरोपी को मनोरोगी या गुस्सैल प्रवृत्ति का बताते हुए लीपापोती की जाती है और कानूनी पेचीदगियों के कारण आरोपी बरी हो जाता है। पिछले कई वर्षों से तेजाब हमलों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की जाती रही है और तेजाब बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता पर भी चर्चा चली है लेकिन आज भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी घृणित घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर कानून बनाकर तुंत अमल में लाया जाये और तेजाब बिक्री के लिए आवश्यक लाइसेंस की अनिवार्यता एवं तेजाब खरीदने वाले व्यक्ति का बिक्रीकर्ता द्वारा पहचान ब्यौरा रखा जाना चाहिए।